न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

सिविल रीवीजन संख्याः 150/2017
मौलाना सै0 शाह फजलुर्रहमान बनाम लार्ड शेष नागेशटिलेश्वर महादेव

31–05–2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

विपक्षीगण 1 ता 9 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया है कि प्रश्नगत निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित सम्पत्ति, जो कि नजूल भूमि खसरा संख्या–14 मोहल्ला और थाना चौक, जनपद लखनऊ में स्थित है, के सन्दर्भ में दाखिल किया गया है तथाकथत सम्पत्ति पर प्रार्थीगण के अनुसार शेष नागेशटिलेश्वर महादेव और कई पुराने मन्दिर के ढांचे एवं हिन्दुओं के पूजास्थल एवं अन्य धार्मिक ढांचे मौजूद हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह दावा किया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित मन्दिर के समीप एक मस्जिद है और विवादास्पद सम्पत्ति लक्ष्मण टीला के नाम से जानी जाती है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि न्यायालय द्वारा आदेश निगरानी लम्बित रहने के दौरान दिनांक 18–01–2021 को निगरानीकर्ता का स्थगन प्रार्थना–पत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया है। निगरानीकर्ता करोना महामारी के दौरान बावजूद स्थगन निर्माण कर रहे हैं तथा अवैधानिक तरीके से तथाकथित सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं और विवादित सम्पत्ति की प्रकृति तथा ढांचे के स्वरूप में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरानीकर्तागण ने विवादित सम्पत्ति पर स्थित चबूतरे को ध्वस्त कर दिया है। मन्दिर और अन्य पूजा स्थलों को वे नष्ट कर रहे हैं, जिससे धार्मिक पूजा स्थलों का वर्तमान स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। करोना महामारी के दौरान जब विपक्षी क्रमांक–1 व अन्य ने अन्य न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–08–2021 को उपस्थित आये तो निगरानीकर्ता ने न्यायालय के बिना किसी आदेश व आज्ञा के विधि व्यवस्था आपने हाथ में लेते हुए सुबह 11:00 बजे विधिमान्य पुराने मन्दिर को तोड़ना प्रारम्भ कर दिया। सूचना प्राप्त करने के उपरान्त जब विपक्षीगण, एक और अन्य मौके पर उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि अवैध ध्वस्तीकरण और अवैधानिक निर्माण विवादास्पद स्थल पर हो रहा था, जिसका विपक्षी क्रमांक 1 ता 9 ने विरोध किया और उसे रोकने को कहा, जिसपर निगरानीकर्तागण आक्रोशित हो गये और उन्होंने कानून और विधि व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि निगरानीकर्तागण अपने इस अवैध ध्वस्तीकरण और अवैध निर्माण में यदि सफल हो जाते हैं तो सिविल वाद का हेतुक ही समाप्त हो जाएगा और प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा, जिसकी भविष्य में भरपाई नहीं हो सकेगी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के चलते यह आवश्यक है कि सिविल कोर्ट अमीन अथवा अधिवक्ता कमिश्नर के द्वारा तथाकथित विवावादस्पद सम्पत्ति का सर्वे करा लिया जाए और अमीन कमिश्नर तथा अधिवक्ता कमिश्नर को इससे सम्बन्धित एक रिपोर्ट अग्रिम नियत तिथि को

प्रस्तुत करने को कहा जाए। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय से अधिवक्ता कमिश्नर या सिविल कोर्ट अमीन से विवादित सम्पत्ति का सर्वे कराये जाने हेतु नियुक्त करने का निवेदन किया है।

इस प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति सी–31 प्रस्तुत करते हुए निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बिल्कुल गलत है और रिकार्ड के अनुरूप नहीं है। प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित सम्पत्ति के सन्दर्भ में दाखिल नहीं की गयी है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी संख्या 1 ता 9 ने एक उदघोषणात्मक डिक्री हेतु वाद वर्तमान निगरानीकर्तागण के मृतक पिता सैय्यद शाह फजलुरर्हमान वैज़ी के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 10 के रूप में तथा 9 अन्य के विरुद्ध दाखिल किया गया था। उक्त वाद में निगरानीकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 10 के रूप में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सी–17 के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 25–09–2017 को निस्तारित किया गया था, उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर वर्तमान निगरानी दाखिल की है और वर्तमान न्यायालय को केवल उक्त आदेश की वैधानिकता पर विचार करना है। प्रार्थना–पत्र के पैरा–2 में जो भी तथ्य अभिकथित किये गये हैं।, वह पूर्णतया गलत है। कोई भी ऐसा ढांचा सम्पत्ति पर अस्तित्व में नहीं है, जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा कहा गया है। निगरानीकर्तागण ने न तो कभी किसी मन्दिर का अस्तित्व मस्जिद के करीब माना है और न ही यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता है। प्रश्नगत सम्पत्ति टीले वाली मस्जिद के नाम से मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 तक जानी जाती रही है और मस्जिद तथा मकबरा नक्शा खसरा संख्या 14, 16 एंव 18 के सन्दर्भ में था, स्थित है। निगरानीकर्तागण की ओर से इस बात का भी विरोध किया गया कि न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 18–02–2021 को निरस्त कर दिया गया। वास्तविकता यह थी कि न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि प्रस्तुत निगरानी को गुण व दोष के आधार पर बिना किसी अन्तरिम आदेश के निर्णीत किया जाना उचित होगा, इसी आधार पर निगरानकर्तागण ने स्थगन प्रार्थना–पत्र को नॉट प्रेस कर दिया था। निगरानीकर्तागण की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रश्नगत सम्पत्ति में स्थित मस्जिद टीले वाली मस्जिद व मजार सूफी सन्त शाह पीर मोहम्मद साहब व विभिन्न सूफी सन्तों की मजार उक्त सम्पत्ति पर स्थित है। उक्त सम्पत्ति में एक हॉल, जो कि बारादरी के नाम से है तथा जिसके एक हिस्से में उक्त मस्जिद के इमाम साहेब तथा अपने परिवार के साथ रहते हैं और जो कि वारिसान के शिष्य के खानक्वाह के रूप में शामिल है। यह कहना गलत है कि उक्त सम्पत्ति पर कोई नव निर्माण निगरानीकर्ता द्वारा कराया गया है। यह कहना भी गलत है कि मन्दिर का कोई निर्माण या कोई पूजा स्थल उक्त सम्पत्ति पर विद्यमान था, जिसे निगरानीकर्ता द्वारा नष्ट कर दिया गया है और उक्त सम्पत्ति टीले वाली मस्जिद शाह मोहम्मद पीर साहब की मजाद एवं उपरोक्त उल्लिखित मजार के नाम से जानी जाती है। कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो यह दर्शित

करता हो कि यह हिन्दू समुदाय के पूजा स्थल यहाँ मौजूद हैं। निगरानीकर्ता की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति करते हुए यह भी कहा गया है कि विपक्षी क्रमांक 1 ता 9 के द्वारा एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी थी, जिसमें अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट विवादास्पद सम्पत्ति के बारे में दाखिल की, जो कि संलग्नक–1 के रूप में आपत्ति के साथ संलग्न है। दिनांक 29–04–2022 को रमजान का अन्तिम शुक्रवार (अलविदा) थी और इसलिए टीले वाले मस्जिद पर अलविदा की नमाज अदा हुई, जिसमें बहुत भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उक्त मस्जिद में आये, जिसके सम्बन्ध में एक पत्र मस्जिद के इमाम की ओर से नगर आयुक्त, नगर निगम को इस आशय का भेजा गया था कि वह टीले वाली मस्जिद की सफाई करा दें, क्योंकि उस दिन नमाज के लिए भारी संख्या में लोगों के आने की सम्भावना थी। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया है कि कोई भी नमाज सड़क पर मस्जिद की बाउन्ड्री के बाहर अदा नहीं की जाएगी, इसलिए बाउन्ड्री के अन्दर मस्जिद स्थल की जमीन को साफ कराया जाना जरूरी थी। सफाई के दौरान कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है और अलविदा की नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। निगरानीकर्तागण द्वारा उपरोक्त आपत्ति दाखिल करते हुए कहा गया है कि इस आधार पर कमीशन जारी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि स्थलीय सर्वेक्षण इस निगरानी याचिका के निस्तारण हेतु आवश्यक नहीं है। निगरानी में मात्र विधिक बिन्दु के अन्तर्निहित होने के प्रश्न पर निर्णीत की जानी है। अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिटी (वेस्ट), लखनऊ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2388(एमबी)/2013 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति, उक्त याचिका में राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रतिशपथ–पत्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति, नक्शा की प्रति, फोटोग्राफ्स की प्रति, मौलाना कारी सैय्यद फजलूल मन्नान रहमानी द्वारा नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी को लिखित पांच पत्रों की प्रतियों को संलग्नक के रूप में आपत्ति के साथ लगाया गया है।

इसी स्तर पर विपक्षी क्रमांक 18 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा उनके द्वारा अपना वकालतनामा पत्रावली पर लेने तथा काउन्टर दाखिल करने हेतु आज की स्थिति स्थगित करने का निवेदन किया गया। विद्वान अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली में संलग्न करते हुए न्यायालय द्वारा उन्हें आज ही बहस करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी संख्या–18 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि वर्तमान न्यायालय द्वारा विधिक बिन्दु पर निगरानी का निस्तारण किया जाना है। यदि इस प्रक्रम पर कमीशन जारी किया जाता है तो उसके द्वारा संकलित साक्ष्य को मूलवाद में किस प्रकार ग्रहण किया जा सकेगा। अगर विपक्षीगण को किसी भी निर्माण का किया जाना प्रतीत हो रहा हो तो उसके लिए वह पृथक वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत निगरानी आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश के

सम्बन्ध में है। अतः इस निगरानी में कमीशन जारी करने का बिन्दु नहीं उठाया जा सकता।

विपक्षी क्रमांक–9 की ओर से दाखिल प्रार्थना–पत्र वकालतनामा पत्रावली पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। वकालतनामा शामिल मिसिल हो।

इस स्तर पर विपक्षीगण 12 से 17 की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपिस्थित आये और उनके द्वारा यह कहा गया कि उपरोक्त निगरानी हिन्दू सनातन धर्म व मुस्लिम मजहब के लखनऊ के सुविख्यात लक्ष्मण टीला व टीले वाली मस्जिद के बावत विचाराधीन है। वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, किन्तु दिनांक 28–05–2022 को अमर उजाला में प्रकाशित खबर में मौलाना के बयान कि मेरी अपील पर सड़कें जाम हो सकती हैं, लॉ एण्ड आर्डर/कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली है, जबकि सरकार कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने की बात कह रही है व प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में उक्त पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। अखबार की प्रति संलग्न की गयी है। इसके निमित्त यह आवश्यक है कि न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में वाद के निस्तारण तक ऐसे बयानों को देने से रोकने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, ताबकि अमन व शांति कायम रह सके। एक अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि यदि कमीशन जारी होता है तो सरकार का जो दायित्व है अथवा जो आदेश न्यायालय से प्राप्त होंगे, उसका विधिवत् पालन किया जाऐगा। एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों की प्रतियां उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण सरकार की ओर से जवाब देना सम्भव नहीं हो पा रहा है और प्रार्थना–पत्र की प्रतियां दिलाये जाने की याचना की गयी है।

मेरे द्वारा उभय पक्ष की ओर से सभी अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पत्रावली निगरानी के रूप में निर्णयन हेतु न्यायालय के समक्ष है। उक्त निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25–09–2017, जो कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के सन्दर्भ में पारित किया गया है, के सन्दर्भ में योजित की गयी है। यहॉ यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि मूलवाद अभी अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि निगरानी निस्तारण के दौरान इस न्यायालय को मात्र योजित निगरानी के सन्दर्भ में अन्तर्निहित विधिक बिन्दुओं व आदेश की वैधानिकता के सन्दर्भ में अपना निर्णय देना है। जहॉ तक प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र वास्ते जारी किये जाने कमीशन सी–27 का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कमीशन जारी करना अथवा अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस न्यायालय को, मूलवाद के लम्बित रहने के दौरान, क्षेत्राधिकार तद्नुसार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रार्थना–पत्र मूलवाद में क्षेत्राधिकारिता रखने वाले अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थीगण कमीशन कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र मूलवाद की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रावली में वास्ते सुनवाई दिनांक 02–07–2022 तिथि नियत की जाती है। उक्त नियित तिथि में उभय पक्ष बिना किसी स्थगन के निगरानी में बहस करने हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित हों।

(श्रीमती कल्पना)

दिनांकः 31–05–2022

अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
लखनऊ।
आई0डी0 नं0 यू0पी0–6015